।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 1350 / 12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 26|09| 2017 ।

2395/PLA
3-10-2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.449 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यूसीपी/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07–09–2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार आवश्यक धनराशि का मांग पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. **शर्त सं0–01** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.898 है0 ग्राम खण्डूडा, ग्राम तलाई तल्ला व मल्ला, ग्राम नैल, ग्राम बांगड़ी, ग्राम कोल्सो सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,34,156.00 (रू0 सात लाख चौंतीस हजार एक सौ छप्पन) मात्र जमा की जानी है।

प्रत्यावर्तित भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु भूमि (है0)	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
1	2	3
2.898 है0	2,53,332.00	7,34,156.00

2. **शर्त सं0–02** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 9,51,993.00(रू नौ लाख इक्कावन हजार नौ सौ तिरानब्बें) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
V	0.3 (Open forest)	6,57,000.00	1.449	9,51,993.00

3. **शर्त सं0–03** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
4. **शर्त सं0 04** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. **शर्त सं0–05** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो, Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation करने की बचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide orginal hard copy of geo-referenced digital ma of the forest land for diversion and the land proposed for CA as uploaded in online portal.
7. State Govt. will provide original or attested hard copy of Viilage Level Commitee meeting proceeding of village Air wadi and Ghandiyal which is uploaded online with FRA certificate.
8. State Govt. will upload village level commitee meeting proceeding of villlage khandura online and also provide orginal/attasted hard copy.
9. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति हेतु दिये गये अन्य आवश्यक शर्त0 01 से शर्त सं0 10 का अनुपालन किये जाने की बचनवद्वता भी दी जानी है।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तो के अनुपालन की वचनबद्वता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन–लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक 2866/10LA दि0 10/10/2017
प्रतिलिपि सहा0 अभि0 (मु0) / अवर अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।